राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या (98/2014) (माण्डलगढ़) दायर तारीख (19.06.2014)

वादपत्र संख्या 40/2025 (110/2024)(बिजौलियां) दायर तारीख 27.07.2025 (26.06.2024)

अनवान्

01. लादू पिता घीसा जाति भील उम्र बालिग पेशा खेती निवासी किसना का झोपड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

.....वादी

बनाम

01. गोपाल पिता नन्दा जाति भील उम्र बालिग निवासी सावत जी का खेड़ा हाल मुकाम छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां/माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. श्रीमान उप पंजीयक महोदय बिजौलियां/माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश शर्मा – अधिवक्ता वादी।
2. श्री रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 11 / 02/2026

यह पत्रावली कार्यालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ के पत्रांक/राजस्व/2024/782 दिनांक 04.04.2024 से स्थानीय न्यायालय को प्राप्त हुयी एवं उक्त पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादी के लगातार अनुपस्थित होने से दिनांक 20.02.2025 को पत्रावली को अदम हाजरी में खारीज की जाकर दाखिल दफ्तर की गयी। तदनुपरान्त दिनांक 22.07.2025 को अधिवक्ता वादी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा आदेश 09 नियम 07 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पत्रावली को सुनवायी हेतु पुनः नम्बर पर ली गयी।

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा वादपत्र **अर्न्तगत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** आदेश 7 नियम 1–3 जा0दी0 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी कि ग्राम धनवाडा प0ह0 मालकाखेडा तहसील माण्डलगढ में स्थित खाता सख्या 125 की आ0न0 379, 389 किता 2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि वर्तमान में चालु खाते मे गोपाल पिता नन्दा भील के नाम पर चली आ रही है। उक्त वर्णित ग्राम धनवाडा प0ह0 मालकाखेडा की आ0न0 379 रकबा 10 बिस्वा, आ0न0 389 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादी के पिता घीसा पिता बख्तावर के अलोट की गयी थी तथा वादी के पिता का अलोट की गयी तब से उक्त वर्णित आराजियात पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादपत्र की कलम सख्या 1 में वर्णित आराजियात घीसा पिता बख्तावर भील निवासी किसना का झोपडा के सम्वत 2030 तक उसके खाते मे दर्ज रेकार्ड चली आ रही थी तथा दिनांक 7–1–1976 को इन्तकाल संख्या 16 खोला गया उसमे वादी के पिता घीसा पिता बख्तावर को मरा हुआ बताकर राजस्व कर्मियो व प्रतिवादी के पिता नन्दा द्वारा दुरभी सन्धी करके प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नन्दा पिता घीसा भील के नाम पर आ0न0 379 389 को कर दिया जो सर्वथा गलत है तथा विधी के विपरित था। वादी के पिता घीसा के पिता का नाम बख्तावर था जबकि प्रतिवादी के पिता नन्दा पिता घीसा भील था।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

जबकि प्रतिवादी सख्या 1 के दादा घीसा के पिता का नाम मोती था। जबकि प्रतिवादी के पिता नन्दा के दूसरी जमीन में इन्तकाल खोला गया है प्रतिवादी के तीन भाई है घीसा पिता मोती के वारिस नन्दा उगमा, हजारी पिता घीसा भील निवासी सावत जी का खेडा है तथा वादी के पिता घीसा के जिन्दा होते हुये भी प्रतिवादी के पिता नन्दा द्वारा राजस्व कर्मियो से मिली भगती करके उसका इन्तकाल खोला गया जो गलत है। घीसा पिता बख्तावर भील जीवित होते हुये भी प्रतिवादी के पिता नन्दा द्वारा राजस्व कर्मियो से मिली भगती करके दिनांक 7–1–1976 को इनतकाल सख्या 16 मे घीसा पिता बख्तावर को मृत बताकर उसका इन्तकाल प्रतिवादी सख्या एक के पिता नन्दा के नाम पर खोल दिया गया जो गलत था वास्तविक रूप से घीसा पिता बख्तावर भील जो वादी के पिता है उसकी मृत्यु दिनांक 5–9–2009 को हुई है घीसा पिता बख्तावर मृत्यु 5–9–2009 से पूर्व हुई है राजस्व कर्मियो ने 1976 में मृतक बताकर उसका नामान्तकरण जो खोला गया है विधि के प्रतिकूल था। वादपत्र की कलम सख्या 1 में वर्णित आराजियात पर वादी काबिज होकर सतत काश्त कर रहा है। प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा दिनांक 28–4–2014 को जबरन वादी का कब्जा हटाने का प्रयास किया गया तो वादी द्वारा पटवार हल्का से जानकारी उक्त आराजियात के सम्बन्ध मे की तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त आराजियात प्रतिवादी सख्या 1 के नाम पर चली आ रही है वादी द्वारा पुरानी नकले निकलवाने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसकी आराजियात गलत नामान्तकरण के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर चली आ रही है तो वादी द्वारा प्रतिवादी से राजस्व अभिलेखो मे वापस उसका नाम जुडवाने की कहा तो प्रतिवादी सख्या 1 साफ तोर से मना हो गया तथा प्रतिवादी द्वारा धमकी दी कि प्रतिवादीगणो के साथ मिलकर उक्त जमीन को विक्रय करेगा तथा उक्त जमीन पर अन्य व्यक्ति का कब्जा करायेगा। वादी को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है। तथा वादग्रस्त आराजियात को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी के खिलाफ दिया जाना आवश्यक है क्योकि वादग्रस्त आराजियात वादी एवम उसके पिता की है जिसको प्राप्त करने का वादी को पूर्ण हक व अधिकार है प्रतिवादी सख्या 1 को किसी प्रकार का हक व अधिकार नही होते हुये भी वादग्रस्त आराजियात पर जबरन वादी को बेदखल करने पर आमादा है इसे स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक एवम न्याय हित मे है। उक्त आराजियात प्रतिवादी के नाम पर गलत तरिक्के से दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी उक्त आराजियात को विक्रय करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी अपने नाम पर गलत तरिके से आयी आराजियात का फायदा उठाकर उक्त अभिलिखित वादग्रस्त आराजियात को रहन विक्रय करने पर आमादा है तथा उक्त आराजियात पर वादी तथा उनके पूर्वजो का कब्जा सतत रूप से चला आ रहा है तथा उक्त वादी को कब्जे काश्त से प्रतिवादी दखलन्दाजी कर उसे परेशान करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा धमकी दी जा रही है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात को विक्रय करेगे वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है स्थाई निषेधाज्ञा के अभाव मे वादी को असहनीय क्षति होगी जिसका अर्थ मे मूल्याकन असम्भव होगा। वाद कारण दिनांक 28–4–2014 को पेदा होकर सतत रूप से जारी है।

वादी अनुतोष चाहता है कि ग्राम धनवाडा की आ0न0 379, 389 किता 2 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमायी जावे। वादग्रस्त आराजियात में न तो प्रतिवादी न उसका एजेन्ट न अन्य कोई व्यक्ति दखलन्दाजी न करे, व प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात पर रहन विक्रय न करे, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमायी जावे। अन्य अनुतोष जो वादी को मुफरिद हो प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से दिनांक 31.07.2025 को अधिवक्ता रामफूल धाकड़ ने यू.टी. ली एवं अधिकार पत्र प्रस्तुत किया।

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता रामफूल धाकड़ द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गयी।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पत्रावली में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ग्राम धनवाड़ा प0ह0 माल का खेड़ा संम्वत् 2070–2073 पेश की, नकल जमाबन्दी ग्राम धनवाड़ा प0ह0 माल का खेड़ा संम्वत् 2062–2065 पेश की, नकल जमाबन्दी ग्राम धनवाड़ा प0ह0 माल का खेड़ा संम्वत् 2031–2034 पेश की, नामान्तरण रजिस्टर ग्राम धनवाड़ा, नामान्तरण पंजिका ग्राम धनवाड़ा की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

पत्रावली को साक्ष्यवादी के स्तर पर रखा गया।

साक्ष्यवादी में स्वयं वादी लादू पिता घीसा जाति भील पेशा मजदूरी निवासी किसना का झोपड़ा तहसील बिजौलियां के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली हैं। साक्ष्यवादी में लादू पिता घीसा जाति भील ने अपने बयान में लिखाया कि मेरे पिता घीसा पिता बख्तावर जाति भील निवासी किसना का झोपड़ा के नाम पर राज्य सरकार ने मौजा ग्राम धनवाड़ा में आराजी नम्बर 379 रकबा 10 बिस्वा, आ. ना. 389 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वां भूमि आवंटन की गई थी। आवंटन के समय से ही वादी के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि घीसा पिता बख्तावर भील के सम्वत् 2030 तक दर्ज रिकार्ड चली आ रही थी। लेकिन दिनांड 7/1/1976 को इंतकाल सं. 16 खोला गया उसमे वादी के पिता घीसा पिता बख्तावर को मृत बताकर राजस्व कर्मियो व प्रतिवादियो के पिता नन्दा द्वारा दुरभी संधि करने प्रतिवादी सं. 1 के पिता नन्दा पिता घीसा भील के नाम पर आराजी सं. 379, 389 का सम्पूर्ण रकबा विधि विरुद्ध राजस्व रिकार्ड में कर दिया, जबकि वादी के पिता घीसा पिता बख्तावर था। प्रतिवादी सं. 1 के पिता नन्दा पिता घीसा भील था प्रतिवादी स. 1 के दादा घीसा के पिता का नाम मोती या जबकि प्रतिवादी के पिता नन्दा के दूसरी जमीन में इंतकाल खोता गया, जिसमे प्रतिवादी सं. 1 के पिता घीसा पिता मोती के तीन वारिस है – नन्दा, उगमा हजारी पिता घीसा भील निवासी सावजी का खेड़ा है। वादी के पिता घीसा के जिंदा होते हुए भी प्रतिवादी के पिता नन्दा द्वारा राजस्व कर्मियो से मिलकर उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात का इन्तकाल नन्दा पिता घीसा के नाम पर खोल दिया, जो कि विधि विरुद्ध होकर गलत है। दिनांड 7/1/1976 को इन्तकाल सं. 16 मे घीसा पिता बख्तावर को मृत बताकर उसका इन्तकाल प्रतिवादी सं. 1 के पिता नन्दा के नाम खोल दिया गया। जो वास्तविक रूप से घीसा पिता बख्तावर भील जो वादी के पिता है। और उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात के वास्तविक खातेदार है। उनकी मृत्यु दिनांक 5/9/2000 को हुई है। राजस्व कर्मियों ने 1976 मे वादी के पिता को मृत बताकर नामान्तरण खोला जो विधि के प्रतिकूल था। वादी ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के वास्तविक खातेदार घीसा पिता बख्तावर भील निवासी किसना का झोपड़ा के नाम पर दर्ज खाता जमाबन्दी सम्वत् 2031–34 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श P–1 है। जिसमे A जव B खातेदार घीसा पिता बख्तावर भील घीसा पिता बख्तावर भील निवासी किसना का झोपड़ा का नाम अंकित है तथा C to D प्रतिवादी सं. 1 के पिता नन्दा पिता घीसा है। प्रतिवादी ग्राम किशना का झोपड़ा मे निवास नहीं करता है, ग्राम छतरी खेड़ा में निवास करता है न ही कभी नन्दा ने भी किशना का झोपड़ा में निवास किया। जिसमे घीसा पिता मोती भील का नाम अंकित है। इन्तकात सं. 16 की बिना जांच किए ही खोला गया है। इन्तकाल स. 16 के नामान्तरण को प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2 है। जिसमे A - B वादी के पिता का नाम है एवं C - D प्रतिवारी स. 1 के पिता नन्दा पिता घीसा के नाम की प्रविष्ठि C - D है। वादी के पिता को भूमि आवंटन हुई उसकी राजस्व विभाग की फोटो प्रति पासबुक की प्रदर्श P–3 है। नन्दा पिता घीसा भील के नाम गलत इन्द्राज व नामान्तरण की प्रति प्रदर्श P–4 वादी का आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श P–5 वादी के माता का पहचान पत्र फोटो प्रति प्रदर्श P–6 है। वादी के पिता का भारतीय निवार्चन आयोग का मतदाता पहचान मत्र की फोटोप्रति प्रदर्श P –7 है। वादी की ग्राम धनवाड़ा मे खाते की भूमि है जिसकी जमाबन्दी प्रदर्श–8 है। प्रतिवादी के गलत इन्द्रराज हुई भूमि की जमाबन्दी प्रदर्श–9 हैं। वादी के पिता के नाम की जमाबन्दी की प्रदर्श P –10 है जिसमे A-B ादी के पिता का नाम है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वादी के पिता के नाम पर आवंटित हुई थी

लगातार पेज संख्या 04 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लेकिन वर्तमान मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर उपरोक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गलत चली आ रही है, इसलिए उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात 379, 389 मौजा ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तह. बिजोलियां की भूमि को प्रतिवादी का नाम उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयांत से हटाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित की जाने की कृपा करें तथा उपरोक्त आराजीयात से वादी को बेदखल न करने प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादर फरमायी जावें ।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी में उदी भील पति रतना जाति भील निवासी किसना का झोपड़ा एवं रोड़ूलाल भील पिता हमीरा जाति भील निवासी किसना का झोपड़ा के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता वादी ओर किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने से साक्ष्यवादी बंद की गयी एवं पत्रावली एकतरफा होने से बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता वादी की बहस एकपक्षीय सुनी एवं बहस पर मनन किया। साथ में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। वादपत्र में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र में चाहा गया अनुतोष ग्राम धनवाडा की आ0न0 379, 389 किता 2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य हैं। अतः प्रस्तुत वादपत्र में आदेश दिए जाते हैं कि :–

–: आदेश :–

वादपत्र वादीगण **अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार कर बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री करने के आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम धनवाड़ा की आ0न0 379, 389 किता 2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वां भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल पिता नन्दा भील निवासी सावत जी का खेड़ा हाल मुकाम छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां की खातेदारी विलोपित की जाकर वादी लादू पिता घीसा भील निवासी किसना का झोपड़ा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करने, लड़ाई झगड़ा नहीं करने, कब्जे से बेदखल नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध **स्थायी निषेधाज्ञा** जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 11 / 02 / 2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या (98 / 2014) (माण्डलगढ़) दायर तारीख (19.06.2014)

वादपत्र संख्या 40 / 2025 (110 / 2024)(बिजौलियां) दायर तारीख 27.07.2025 (26.06.2024)

अनवान्

01. लादू पिता घीसा जाति भील उम्र बालिग पेशा खेती निवासी किसना का झोपड़ा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा (राज0)

.....डिक्रीदार

बनाम

01. गोपाल पिता नन्दा जाति भील उम्र बालिग निवासी सावत जी का खेड़ा हाल मुकाम छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

02. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां / माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. श्रीमान उप पंजीयक महोदय बिजौलियां / माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 11 / 02 / 2026

डिक्री दिनांक : 11 / 02 / 2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री ओमप्रकाश शर्मा व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 श्री रामफूल धाकड़ को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि ग्राम धनवाड़ा की आ0न0 379, 389 किता 2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वां भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल पिता नन्दा भील निवासी सावत जी का खेड़ा हाल मुकाम छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां की खातेदारी विलोपित की जाकर वादी लादू पिता घीसा भील निवासी किसना का झोपड़ा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करने, लड़ाई झगड़ा नहीं करने, कब्जे से बेदखल नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध **स्थायी निषेधाज्ञा** जारी की जाती है। अतः उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत् ..... Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 02 वर्ष 2026 को जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		